संख्या-48 /2018/आ0मि0-233/96-आयुष-2-2018-12(आ0मि0)/2018

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की स्वीक़ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-44/2018/आ0मि0-227/96-आयुष-2-2018-12(आ0मि0)/2018, दिनॉक 29 मार्च, 2018 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में संलग्न सूची के कालम-2 में अंकित चिकित्सालय/ महाविद्यालय के सम्मुख अंकित कालम-4 के आगणन की धनराशि कालम-5 में अंकित धनराशि मूल्यांकित करते हुए कालम-6 में अंकित धनराशि स्वीकृति हेतु की गई संस्तुति के क्रम में कुल मूल्यांकित धनराशि रू0 749.66 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कालम-6 में अंकित कुल धनराशि रू0 439.83 लाख के स्थान पर संलग्न सूची के कालम-2 में अंकित चिकित्सालय/महाविद्यालय के सम्मुख अंकित कालम-4 के आगणन की धनराशि कालम-5 में अंकित धनराशि मूल्यांकित करते हुए कालम-6 में अंकित धनराशि स्वीकृति हेतु की गई संस्तुति के क्रम में कुल मूल्यांकित धनराशि रू0 572.02 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कालम-6 में अंकित कुल धनराशि रू0 351.01 लाख पढी जायें। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासनादेश संख्या-44/2018/आ0मि0-227/96-आयुष-2-2018-12(आ0मि0)/2018, दिनॉक 29 मार्च, 2018 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-48/2018/आ0मि0 233(1)/96-आयुष-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
5- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- यू0पी स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0।
7- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग 1/2
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–48 / 2018 / आ0मि0–233 / 96–आयुष–2–2018–12(आ0मि0) / 2018
दिनांक 30 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	चिकित्सालय / महाविद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आगणन की धनराशि	मूल्यांकन की धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रा0आ0चि0 चन्द्रावल, लखनऊ (15 शैय्यायुक्त)	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0	75.00	75.00	37.50
2	रा0आ0चि0 गढा, लखनऊ (04 शैय्यायुक्त)		15.00	15.00	15.00
3	रा0आ0चि0 हरचन्दपुर, रायबरेली(04 शैय्यायुक्त)		15.00	15.00	15.00
4	रा0आ0चि0 नवाबगंज, उन्नाव (04 शैय्यायुक्त)		15.00	15.00	15.00
5	रा0 डा0 बृजकिशोर हो0मे0कालेज, फैजाबाद	यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0	177.64	177.64	88.82
6	रा0हो0चि0 पी0एल. शर्मा, मेरठ		20.00	15.00	15.00
7	रा0हो0चि0 बटजेबरा, मेरठ		20.00	15.00	15.00
8	रा0यू0चि0 मोहम्मदपुर कीरत, बाराबंकी		20.00	15.00	15.00
9	रा0यू0 मेडि0 कालेज, इलाहबाद	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	40.21	40.00	40.00
10	रा0आ0महाविद्यालय, लखनऊ		189.38	189.38	94.69
		योग–		**572.02**	**351.01**

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।